

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240139 CG-DL-E-09112022-240139

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 546] No. 546] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2022/ कार्तिक 18, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2022/ KARTIKA 18, 1944

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2022

फा. सं. आरए–14026(11)/3/2019—केविविआ.—चूंकि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 को दिनांक 12.02.2022 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग—III, धारा 4, सं. 85 में प्रकाशित किया गया था,

चूंकि, सहायक सेवाए विनियमों के विनियम 1 के खंड (2) में उपबंध है कि ये विनियम आयोग द्वारा यथाधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगे।

और अब, अतएव, निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है किः

- (क) नीचे पैरा (ख) में उल्लिखित को छोड़कर, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2022 के सभी उपबंध, दिनांक 05.12.2022 के प्रवृत्त होंगे।
- (ख) निम्नलिखित उपबंध, आयोग द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होंगेः
 - i. विनियम 6 के अधीन टीआरएएस से संबंधित उपबंध;
 - ii. विनियम 14 से 19;
 - iii. विनियम 20 से 22 में टीआरएएस से संबंधित उपबंध
 - iv. विनियम 26

7424 GI/2022 (1)

(ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएं) विनियम, 2015 के अधीन जारी विस्तृत क्रियाविधि, अगले दिशानिर्देशों तक प्रचालन में बने रहेंगे।

> हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./369/2022-23]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2022

F. No. RA-14026(11)/3/2019-CERC.— Whereas the Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 were published in Part-III, Section 4, No. 85 of the Gazette of India Extraordinary on 12.02.2022,

Whereas, the Clause (2) of Regulations 1 of the Ancillary Service Regulations provides that the Regulations shall come into force with effect from such date as may be notified by the Commission.

And, now, therefore, it is hereby notified as under:

- (a) All provisions of Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2022 except those mentioned in para (b) below, shall come into force with effect from 05.12.2022.
- (b) The following provisions shall come into force from the date to be separately notified by the Commission:
 - i. Provisions pertaining to TRAS under Regulation 6;
 - ii. Regulations 14 to 19;
 - iii. Provisions pertaining to TRAS in Regulations 20 to 22
 - iv. Regulations 26.
- (c) Detailed Procedures issued under Central Electricity Regulatory Commission (Ancillary Services) Regulations, 2015 shall continue to be in operation till further directions.

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./369/2022-23]